CONTENTS

PART I	*Name / Regd. Office*	*3*
PART II	*Aims & Objects*	*3*
PART III	*Membership*	*7*
PART IV	*Organisational Structure*	*13*
PART V	*Branch Level Set-up*	*13*
PART VI	*Prant Level Set-up*	*19*
PART VII	*Zonal Level Set-up*	*21*
PART VIII	*National Level Set-up*	*23*
PART IX	*Miscellaneous*	
	(a) Bye-laws of the Parishad	*33*
	(b) Affiliation of other organisations with Parishad, Decisions by Majority, Quorum	*35*
	(c) Official Year and Subscription, Annual Accounts & Audit, Sub-Committees, Special General Body Meeting	*35*
	(d) Bankers, Removal of an Office bearer from any office, Arbitration, Finality of Decisions	*37*
	(e) Disqualifications for being an office bearer Supersession of Executive of any Branch or the Prant	*37*
	(f) Suppression of other bodies / Committees, Appointment of Disciplinary Committee, Parishad Activities in Villages	*41*
	(g) Bharat Vikas Parishad Charitable Trust, New Delhi, Controls Over Trusts	*43*
	(h) Term of Office Bearers at all levels, Power to remove difficulties	*45*

भारत विकास परिषद्

(सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम XXI सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत)

पंजीकरण संख्या : S-2272/1963

संविधान

भाग–I

1. **नाम :** संस्था का नाम 'भारत विकास परिषद्' होगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय :** भारत विकास परिषद् का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा।

भाग–II

3. **उद्देश्य एवं लक्ष्य**

परिषद् का मुख्य लक्ष्य, मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में भारत के विकास एवं संवर्द्धन का प्रयत्न करना होगा और वह भी लक्ष्य की व्यापकता से बिना किसी द्वेष के। परिषद् विशेष रूप से अपनी क्षमता और संसाधनों के अन्तर्गत निम्न लक्ष्यों का अनुसरण करने में लगेगी:–

(क) अपने देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, राष्ट्रीय और अध्यात्मिक प्रगति के लिए उचित उपायों और साधनों को अंगीकार करना।

(ख) भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के आधार पर नृत्य, नाटक, संगीत, साहित्य मानविकी और सामाजिक विज्ञान को बढ़ाना।

(ग) भारत के लोगों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रति सम्पूर्ण वचनबद्धता की गहरी और व्यापक भावना को बिठाना।

(घ) भारत के मानवतावादी और सौन्दर्य विषयक मूल्यों में अनेकों प्रकार के भव्य योगदान को स्मरण करना और सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की खोज में जानकारी के आयामों को बढ़ाना।

(ङ) समाज के सभी वर्गों में सहिष्णुता और आपसी समझ–बूझ को प्रोत्साहित करना।

(च) न्याय, मुक्ति, स्वतन्त्रता, भाईचारे एवं समानता को प्राप्त करना, बचाना और बढ़ाना ताकि विधि का शासन एवं लोकतन्त्र सही मायने में राष्ट्रीय जीवन का ताना–बाना बन सकें और मानव सम्मान, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकार जीवंत सत्य बन सकें।

Bharat Vikas Parishad

(Registered under the Societies Registration Act XXI of 1860)
Registration No. S-2272/1963

CONSTITUTION

PART- I

1. **Name**: *The name of society shall be "Bharat Vikas Parishad"*

2. **Regd. Office** : *The registered office of the Bharat Vikas Parishad shall be at Delhi.*

PART - II

3. **Aims & Objects**

   The principal object of the Parishad shall be to strive for the development and growth of Bharat, in all fields of human endeavor, and without prejudice to the generality of that object, the Parishad shall, in particular subject to its capacity and resources, engage in the pursuit of the following objects:

   (a) To adopt appropriate ways and means for the cultural, social, academic, moral, national and spiritual progress of our country;

   (b) To promote dance, drama, music, literature, humanities and social sciences based on Bharatiya Culture and traditions;

   (c) To inculcate profound and pervasive sense of patriotism and deep commitment to National Integration and unity among the people of Bharat;

   (d) To commemorate Bharat's many splendoured contributions to humanitarian and aesthetic values and to advance the frontiers of awareness in pursuit of the Truth, the Good and the Beautiful (Satyam, Shivam, Sundaram);

   (e) To foster tolerance and understanding among all sections of the society;

   (f) To preserve, promote and secure Justice, Liberty, Freedom, Fraternity and Equality so that Democracy and Rule of Law, in true sense, may become the warp and woof of our national life and Human Dignity, Social Justice and Fundamental Rights may become a living reality;

(छ) सभाओं, अध्ययन गोष्ठियों, संगोष्ठियों, भाषणों, प्रवचनों, सम्मेलनों, चर्चा सत्रों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, आदान प्रदान कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन करना।

(ज) समाज सेवा और सामाजिक विकास के पाठ्यक्रमों और शिविरों का आयोजन करना।

(झ) भारत के महापुरुषों की वर्षगाँठ मनाना और ऐतिहासिक घटनाओं और अवसरों का स्मरण करना।

(ञ) स्मरणीय तथ्यों के संग्रह और संग्रहालय स्थापित करना।

(ट) ग्रामीण पुनर्निर्माण, शहरी पुनर्वास और सभी स्तरों पर जीवन में सुधार की गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करना।

(ठ) शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्ध करना अथवा स्थापना या प्रबन्धन में सहयोग करना और इस प्रकार के कार्यों में सामान्यत: और विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए धन जुटाना।

(ड) संस्था के सामान को खरीदने के लिए धन, दान, चंदा, उपहार अथवा अन्य साधन जुटाना या उधार अथवा जमाराशि प्राप्त करना, और परिषद् के धन से परिषद् के खर्चे (आकस्मिक एवं अन्य) चलाना और परिषद् की सम्पत्ति को छुड़ाने या उधार लिये गये धन की वापसी के लिए धन जुटाना।

(ढ) परिषद् के उद्देश्यों के लिए अनिवार्य अथवा सुविधाजनक भूमि अथवा भवन को उपहारस्वरूप अथवा पट्टे पर ग्रहण करना।

(ण) परिषद् के लाभ के लिए किसी भवन अथवा सम्पत्ति का निर्माण करना अथवा खरीदना।

(त) परिषद् के लाभ अथवा इसके उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए किसी संस्था, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को परिषद् की सम्पत्तियां बेचना, उपहारस्वरूप देना, अनुज्ञा देना अथवा पट्टे पर, किराये पर अथवा आदान–प्रदान स्वरूप प्राप्त करना।

(थ) वचन–पत्र, बिल और दूसरे विनिमय साधन इत्यादि प्राप्त करना, देना अथवा पृष्ठांकित करना।

(g) *To organise meetings, seminars, symposia, lectures, discourses, conferences, discussion groups, training courses, exchange programmes, exhibitions and festivals;*

(h) *To organise courses and camps for social services and social development;*

(i) *To observe anniversaries of Bharat's Great Men and commemorate and celebrate landmark events and occasions;*

(j) *To establish museums and collections of memorabila;*

(k) *To undertake programmes and activities for rural reconstruction and urban rehabilitation and for the improvement of life at all levels;*

(l) *To establish and manage or collaborate in establishing and managing educational institutions and to raise funds generally for such purposes and especially for the socially, economically or physically handicapped;*

(m) *To raise and receive funds, donations, subscriptions, gifts or other considerations;to borrow money; to accept deposits, to invest or donate for the purchase of objects of the organisation, to pay out of the funds of the Parishad all its expenses and expenses incidental to raising of money or to repay any money borrowed and to redeem its properties.*

(n) *To take on lease or to accept as gift or otherwise acquire any land or building which may be necessary or convenient for the purposes of the Parishad.*

(o) *To purchase or construct any building structure or property for the benefit of the Parishad.*

(p) *To sell, gift, license, give or take on lease or on hire, exchange with or without any consideration all properties of the Parishad to or from any other institution, person or persons for the benefits of Parishad or for the advancement of its objects;*

(q) *To draw, accept, make and endorse promissory notes, bills and other negotiable instruments etc;*

(द) प्रतिभूतियों और अनुज्ञेय निवेश के साधनों से प्राप्त धन प्रयोग में लाना और निवेश करना।

(ध) परिषद् या इसके पक्ष में किए गए व्यय अथवा सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति, निकाय अथवा कम्पनी की भरपाई करना, आवंटन करना अथवा पारिश्रमिक देना।

(न) परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समझौते, हस्तांतरण, स्थानांतरण, पट्टे पर देना, लाइसेंस पर देना, गिरवी रखना या इस प्रकार के दस्तावेज़ तैयार करना जो आवश्यक समझे जाएं।

(प) परिषद् के उद्देश्यों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे कार्य करना जो परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने और आगे बढ़ाने में सहायक हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिषद् की सम्पत्तियों से आय केवल मात्र परिषद् के उद्देश्यों को बढ़ाने और प्राप्त करने में लगाई जाएगी। और

(फ) खर्चों से अधिक प्राप्त धनराशि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाई जाएगी।

भाग-III

सदस्यता

4. सदस्य

सदस्यों की निम्न लिखित श्रेणियाँ होंगी:

(क) साधारण सदस्य

(i) कोई भी व्यक्ति जो परिषद् की गतिविधियों और उद्देश्यों में रुचि रखता हो, साधारण सदस्य बनाया जा सकता है जिसके लिए उस शाखा की कार्यकारिणी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जिसका वह सदस्य बनना चाहता है और उसे 100/- रुपये अग्रिम प्रवेश शुल्क के साथ-साथ, समय-समय पर शाखा कार्यकारिणी द्वारा तय किया गया अथवा विशेष परिस्थितियों में प्रान्त या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा तय किया गया शाखा का वार्षिक शुल्क देना होगा।

वार्षिक शुल्क को बढ़ाने के उद्देश्य से शाखा की विशेष सामान्य सभा बुलाई जाएगी और उसमें उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अनुमोदन से ही शुल्क बढ़ाया जा सकेगा।

(r) *To use, employ and invest moneys in securities and other permissible investments, etc;*

(s) *To compensate, re-imburse or remunerate any person, body or company for service rendered to or expenses incurred for the Parishad or on its behalf;*

(t) *To execute such agreements, conveyances, transfers, leases, licences, mortgages and any other documents as may be considered necessary to carry out the objects of the Parishad.*

(u) *To do within the framework of the objects all such other things as may be directly or indirectly conducive or incidental to the attainment or advancement of the aforesaid objects or any one of them provided that the income and properties of the organisation shall be applied solely towards the promotion of the objects of the Parishad; and*

(v) *Money received in excess of expenditure will be utilized as per provisions of the Income Tax Act.*

PART – III

MEMBERSHIP

4. Members

Following shall be the categories of members:

(A) Ordinary Members

(i) *Any person interested in the objects and activities of the Parishad may be enrolled as an ordinary Member of the Parishad subject to the approval of the Branch Executive to which he wishes to belong but subject to advance payment of admission fee of minimum Rs.100/- along with annual subscription as may be prescribed by the executive committee of the branch from time to time or in specific cases by Prant or National Executive.*

Provided that any further enhancement in annual subscription may be made only by approval by 2/3rd majority of members present at a specially convened meeting of General Body of the branch.

(ii) जो सदस्य वार्षिक शुल्क के भुगतान में त्रुटि करता है, वह किसी भी स्तर पर न तो पदाधिकारी रह सकेगा और न ही किसी चुनाव या सभा में मतदान कर सकेगा।

परन्तु ऐसा सदस्य अपनी शेष राशि शाखा को भुगतान करने की तिथि के पश्चात अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

(iii) सदस्य की पत्नी/पति को भी सभी अधिकारों सहित सदस्य माना जाएगा और मतदान एवं चुने जाने का अधिकार भी होगा। परन्तु शाखा की सदस्यता गिनने के लिए दोनों को एक ही इकाई गिना जाएगा।

परन्तु शाखा के चुनाव में दोनों में से कोई एक ही चुनाव लड़ सकेगा।

(ख) सम्मानित सदस्य

शाखा की कार्यकारिणी, किसी भी व्यक्ति को, यदि सम्मान देना चाहती है, जो परिषद् के उद्देश्यों और गतिविधियों में रुचि रखता है तो कतिपय शर्तों पर उसे सम्मानित सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है। परन्तु सम्मानित सदस्य किसी भी स्तर पर मतदान करने अथवा निर्वाचित होने का अधिकारी नहीं होगा।

5. संरक्षक

(क) शीर्ष मण्डल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को, जो परिषद् की गतिविधियों में रुचि रखता हो, उस अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, संरक्षक अथवा मुख्य संरक्षक नामित किया जा सकता है। संरक्षक मतदान करने अथवा निर्वाचित होने का अधिकारी नहीं होगा।

(ख) उसी आधार पर, शीर्ष मण्डल, सम्बन्धित प्रान्त कार्यकारिणी की संस्तुति पर, प्रान्त के मुख्य संरक्षक अथवा संरक्षक (अधिक से अधिक तीन) को नामित कर सकता है। इसी प्रकार प्रान्त कार्यकारिणी, शाखा कार्यकारिणी की संस्तुति पर शाखा के मुख्य संरक्षक अथवा संरक्षक (अधिक से अधिक तीन) को नामित कर सकती है।

6. सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार

परिषद् के नियमों के प्रावधानों के आधीन, एक सदस्य के निम्नलिखित अधिकार होंगे:

(ii) *A member who defaults in the payment of annual subscription shall not be entitled to continue either as an office bearer at any level or vote in any election or meeting.*

Provided that he will be entitled to exercise all the rights on or after the date of payment of arrears to the Branch.

(iii) *The Husband/Wife of the member shall also be deemed to be a member with all the rights, including the right to vote and seek election, but for the purpose of counting membership of a Branch, both will be counted as one unit.*

Provided that in the elections of the Branch only one of the two may contest election.

(B) Honorary Members

The executive of a Branch may co-opt any person whom it wishes to honour for his interest in the objects and activities of the Parishad as an Honorary Member on such terms as it may consider appropriate.

Provided that an Honorary Member shall not be entitled to vote or seek any election at any level.

5. Patrons

(a) *Any distinguished person who is or is likely to be interested in the activities of the Parishad may be nominated as Patron or Chief Patron by the Apex Body at National Level for such period as it may consider appropriate. A Patron shall not be entitled to vote or to seek any election.*

(b) *On similar grounds, Chief Patron or Patrons not more than three in number may be nominated for each Prant by the Apex Body on the recommendation of the Executive Committee of the Prant concerned. Likewise, Chief Patron or Patrons not more than three may also be nominated for each branch by the Prant Executive on the recommendations of the Executive Committee of the Branch concerned.*

6. Rights and Privileges of Members

Subject to the provisions of the rules of the Parishad, a member shall have the following rights:

(क) परिषद् की जिस शाखा का वह सदस्य है, उस शाखा की सामान्य अथवा विशेष जो भी सर्व सदस्य बैठक हो उसमें परिषद् से सम्बन्धित जो भी सुझाव विचाराधीन हों, उसमें मतदान करना।

(ख) जिस भी शाखा अथवा क्षेत्र में सदस्य आता है उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने या सहायता करने के लिए जो भी समिति या उपसमिति अथवा कार्यकारिणी बनाई जाती है, उसे चुनना या उस में चुने जाना।

(ग) अपनी शाखा, प्रान्त अथवा केन्द्र द्वारा अपने सदस्यों हेतु साधारणतया जो भी बैठक अथवा जनसभा का आयोजन किया जाता है, उसमें भाग लेना।

7. परिषद् के प्रति सदस्य के दायित्व

परिषद् के प्रति प्रत्येक सदस्य के निम्न दायित्व होंगे:-

i) उसे शाखा द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना और यथा-सम्भव अधिक से अधिक बैठकों में जाना चाहिये।

ii) उसे परिषद् की बैठकों और कार्यक्रमों में मर्यादा का पालन करना और अनुशासन बनाए रखना चाहिये।

iii) उसे समय पर और शाखा द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व शाखा का वार्षिक शुल्क देना चाहिये, और

iv) उसे ऐसा कोई भी कार्य नही करना चाहिये जो परिषद् की छवि को समाज में धूमिल करे।

8. सदस्यता समापन

निम्नलिखित कारणों से सदस्यता समाप्त की जा सकती है:-

i) त्याग पत्र द्वारा

ii) शाखा कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि बीत जाने पर भी वार्षिक शुल्क का भुगतान न करने पर।

iii) कदाचार, मानसिक अस्वस्थता अथवा नैतिक अधम के कारण।

किन्तु शर्त यह हैं कि खंड (ii) और (iii) के अन्तर्गत एक 'कारण बताओ नोटिस' दिया जाएगा और प्रभावित सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: खंड (iii) के अन्तर्गत सदस्यता शाखा कार्यकारिणी, प्रान्त कार्यकारिणी अथवा शीर्ष मण्डल किसी के भी द्वारा समाप्त की जा सकती है।

(a) *to vote on any proposal concerning the Parishad which may be placed for consideration in a general or special meeting of the General Body of the Branch to which he belongs; and*

(b) *to elect or to be elected as member of the Executive or any other Committee or Sub-committee constituted to regulate and help in the activities of the branch or the area to which he belongs;*

(c) *to participate in any meeting or gathering arranged by its Branch, Prant or Centre for its members generally.*

7. Duties of a member towards Parishad

Every member of the Parishad shall have the following duties towards Parishad:

i) *He must participate in the programmes arranged by the Branch and also attend the maximum number of meetings as far as possible;*

ii) *He must observe the decorum and maintain discipline in the programmes and meetings of the Parishad;*

iii) *He must pay the annual subscription of the branch well in time but not later than the last date prescribed by the Branch; and*

iv) *He must not do any such act, which may tarnish the image of the Parishad in the society.*

8. Termination of Membership

Membership may be terminated:

i) *By resignation; or*

ii) *Owing to default in payment of annual subscription after expiry of the last date as prescribed by the Branch Executive; or*

iii) *Owing to misconduct, mental incapacity or moral turpitude;*

Provided that in cases under clauses (ii) & (iii), a show cause notice has to be served and opportunity of being heard has to be given to the member affected.

Explanation - *The membership under clause (iii) may be terminated by Branch Executive or Prant Executive Committee or Apex Body as the case may be.*

भाग-IV

संगठनात्मक ढांचा

9. प्रारम्भिक स्तर पर परिषद् का संगठनात्मक ढांचा शाखा होगी और शीर्ष पर केन्द्र होगा। इनके बीच में दो स्तर, प्रान्त तथा क्षेत्र होंगे।

क) राष्ट्रीय स्तर

i) परिषद् की एक उच्चतम निकाय होगी जिसे राष्ट्रीय परिषद् कहा जाएगा।

ii) एक नियामक निकाय होगा जिसे राष्ट्रीय शासी मण्डल कहा जाएगा।

iii) एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी।

iv) एक शीर्ष मण्डल होगा।

ख) क्षेत्रीय स्तर

i) एक क्षेत्रीय परिषद् होगी।

ii) एक क्षेत्रीय समन्वय समिति होगी।

iii) एक क्षेत्रीय कार्यकारिणी होगी।

ग) प्रान्त स्तर

i) एक प्रान्तीय परिषद् होगी।

ii) एक प्रान्तीय कार्यकारिणी होगी।

घ) शाखा स्तर

i) शाखा की एक सामान्य सभा होगी जिसमें अनुच्छेद 4 क (i) एवं 4 क (iii) में वर्णित सभी सदस्य होंगे।

ii) शाखा की एक कार्यकारिणी समिति होगी।

भाग–V

शाखा स्तरीय संरचना

10. शाखा की स्थापना

i) शाखा किसी विशेष नगर या कस्बे अथवा शहर या कस्बे के किसी विशेष क्षेत्र में न्यूनतम 25 सदस्यों से स्थापित की जा सकती है। इसका नाम भारत विकास परिषद् (स्थान या क्षेत्र का नाम) होगा। ग्राम पंचायतों

PART-IV

ORGANISATIONAL STRUCTURE

9. *The organisational structure of the Parishad shall consist of the Branch at primary level and the Centre at the top. In between these two set-ups, there shall be Prant and Zone.*

A) National Level

- *i) There shall be a supreme body of the Parishad called National Council.*
- *ii) There shall be a governing body called National Governing Board.*
- *iii) There shall be a National Executive.*
- *iv) There shall be an Apex Body.*

B) Zonal Level

- *i) There shall be a Zonal Council.*
- *ii) There shall be a Zonal Co-ordination Comittee.*
- *iii) There shall be a Zonal Executive.*

C) Prant Level

- *i) There shall be a Prantiya Council.*
- *ii) There shall be a Prant Executive.*

D) Branch Level

- *i) There shall be a General Body of the Branch with all its members as mentioned at Article-4A(i) & 4 A(iii).*
- *ii) There shall be a Executive Committee of the Branch.*

PART-V

BRANCH LEVEL SET-UP

10. Establishment of Branch

i) A Branch may be established for any specified city or town or for a specified area within a city or town, with minimum number of 25 members. Its title shall be Bharat Vikas Parishad (name of the place or area) However, the branches in the Village

के क्षेत्र में भी शाखाऐं स्थापित की जा सकती हैं किन्तु उनकी न्यूनतम सदस्य संख्या 15 होगी। 25 सदस्यों से कम संख्या वाली ऐसी शाखाऐं ग्रामीण शाखाऐं कहलाऐंगी। इन शाखाओं को रुपये 150/- वार्षिक शुल्क प्रति सदस्य केन्द्र तथा प्रान्त को अलग-अलग देना होगा। प्रत्येक सदस्य को मासिक पत्रिका नीति प्राप्त होगी। इन शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष प्रान्तीय परिषद् के सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण : ii) संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप ग्राम समितियाँ भी कार्य करती रहेंगी।

iii) शाखा, शीर्ष मण्डल के अधीन सम्बद्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी एवं सामान्यत: प्रान्तीय परिषद् एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

11. i) जिला समिति: हर एक ऐसे जिले में जिसमें दो या उससे अधिक शाखाऐं हैं एक समन्वय समिति होगी एवं इसके सदस्य उस ज़िले की प्रत्येक शाखा के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे। निर्वाचित प्रान्तीय अधिकारी इस समिति का एक अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त करेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर बुलाई गई इसकी बैठकों का संचालन करेंगे।

ii) नगर समन्वय समिति : प्रत्येक ऐसे नगर या कस्बे में जहाँ दो या उससे अधिक शाखाऐं हैं, अध्यक्ष व समन्वयक की एक समन्वय समिति होगी, जिसका गठन निर्वाचित प्रान्तीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। वे आवश्यकतानुसार बुलाई गई समन्वय समिति की बैठकों का संचालन करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

12. शाखा के पदाधिकारीगण

शाखा की सामान्य बैठक में, परिषद् के उप-नियमों में दिए गये चुनावों के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार शाखा के तीन पदाधिकारियों-अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। ये निर्वाचित पदाधिकारीगण उप-नियमों के अनुसार शाखा कार्यकारिणी को संयुक्त रूप से नामित करेंगे।

13. शाखा कार्यकारिणी

उपरोक्त गठित कार्यकारिणी को सामान्य सभा के सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह शाखा के लिए, शाखा की ओर से प्रान्तीय कार्यकारिणी और केन्द्रीय कार्यालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

Panchayat areas may be established with a minimum membership of 15 persons. Such branches having less then 25 members will be called as 'Village Branch". Such branches so established shall have to pay Rs.150/-each member as annual subscription to the Central and the Prant. Each member shall receive a copy of the monthly magazine Niti. The Presidents, Secretaries and Treasurers shall be the members of the Prantiya Council.

Explanation: *i) Village Samities will continue as per provisions of the Constitution of the Parishad.*

ii) *The branch shall receive Affiliation Certificate under the authority of the Apex Body and function generally under the direction and supervision of Prantiya Parishad and Prantiya Executive.*

11. i) District Committee: *In every district having two or more branches, there shall be a District Committee comprising of all the Presidents, Secretaries & Treasures of all the branches in that District. The Prantiya elected office bearers shall appoint its President and a Secretary who will be responsible for conducting its meetings as and when necessary.*

ii) City Co-ordination Committee : *In a city or town having two or more branches, there shall be a City Co-ordination Committee consisting of a Chairman and a Coordinator who will be appointed by the Prantiya elected office bearers. They will be responsible for conducting the meetings of the Co-ordination Committee as and when necessary.*

12. Office Bearers of the Branch

The election of the three office bearers namely President, Secretary & Treasurer shall take place in the general meeting as per election rules and procedure laid down in the bye-laws of the Parishad. These elected office bearers shall jointly nominate the Executive of the Branch as prescribed in the bye-laws.

13. Branch Executive

The Executive constituted as above shall have all the powers of General Body of the Branch and shall function for and on behalf of Branch subject to such directions as may be given by the Prantiya Executive and the Central Office of the Parishad.

14. शाखा कार्यकारिणी की बैठक

शाखा कार्यकारिणी की बैठक जब भी आवश्यकता हो, अध्यक्ष की सहमति से एक सप्ताह के लिखित डाक द्वारा या अन्य प्रकार से भेजे गये नोटिस पर सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

परन्तु अति आवश्यकता पड़ने पर शाखा के अध्यक्ष की अनुमति से नोटिस का समय घटाया जा सकता है।

परन्तु आपात स्थिति में अध्यक्ष, कार्यकारिणी अथवा सामान्य सभा की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत होगा।

परन्तु शाखा, परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्रति माह कम से कम एक कार्यकारिणी बैठक और एक सामान्य बैठक अथवा कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

कार्यकारिणी बैठक का कोरम इसकी संख्या का एक चौथाई होगा जो न्यूनतम पाँच होना चाहिये परन्तु पदाधिकारियों के अतिरिक्त न्यूनतम एक सदस्य अवश्य उपस्थित होना चाहिएं।

15. शाखा की वार्षिक बैठक

शाखा की वार्षिक बैठक हर वर्ष मार्च/अप्रैल में होगी जिसके लिए सचिव द्वारा 10 दिन पहले सूचना सभी सदस्यों को दी जाएगी।

इस वार्षिक बैठक में सामान्यतः निम्न कार्य किए जाएंगेः–

i) वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अंगीकार करना और उस वर्ष की लेखा रिपोर्ट को पारित करना।

ii) कार्यकारिणी अथवा सामान्य सभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रस्ताव/प्रस्तावों पर विचार करना जिसके बारे में कम से कम एक सप्ताह की पूर्व सूचना दी गई हो।

iii) आने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करना। लेखा परीक्षक का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

iv) नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा दायित्व ग्रहण।

v) निवर्तमान अध्यक्ष का भाषण।

14. Meeting of Branch Executive

The meeting of the Branch Executive shall be convened by the Secretary with the consent of the President as often as may be necessary by giving one week's notice in writing by post or otherwise.

Provided however, that in case of urgency, the period of notice may be curtailed with the permission of the President of the Branch.

Provided further, that in case of emergency, the President shall be empowered to call a meeting of the Executive or General Body of the Branch.

Provided further, that the branch will hold each month at least one Executive Committee meeting and one General Body meeting or a programme as far as possible in pursuit of the objects of the Parishad.

The quorum for the meeting of the Executive shall be one fourth of its strength subject to minimum five whichever is higher. Provided that there must be atleast one member present other than the office bearers.

15. Annual Meeting of Branch

The annual meeting of General Body of Branch shall be held in the month of March/April every year, for which 10 days' notice shall be given to all the members by the Secretary.

The following business shall ordinarily be transacted in this annual meeting:

i) Consideration and adoption of the Annual report and passing of the Annual Accounts for the year under report.

ii) Consideration of the Resolution/Resolutions moved by Executive or by any member of General Body, the notice of which should be given at least a week before the date of the meeting.

iii) Appointment of an Auditor for the ensuing year. The term of the office of the Auditor shall be for one year.

iv) Dayitva Grahan by the newly elected office bearers.

v) Speech by the outgoing President.

vi) नव निर्वाचित अध्यक्ष का भाषण।

vii) सभापति की अनुमति से कोई अन्य विषय।

भाग–VI

प्रान्त स्तरीय संरचना

16. प्रान्तः शीर्ष मण्डल को प्रान्त इकाई के गठन का और विभिन्न प्रान्तों में आने वाली शाखाओं के निर्धारण का अधिकार होगा।

17. प्रान्तीय परिषद्

i) शीर्ष मण्डल द्वारा इस प्रकार से गठित प्रान्त में एक प्रान्तीय परिषद् होगी जिसमें प्रान्त की सभी शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष और प्रान्तीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण सम्मिलित होंगे।

ii) यदि शाखा के सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है तो शाखा कार्यकारिणी को प्रत्येक 50 अतिरिक्त सदस्यों अथवा उसके अंश पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रतिनिधि नामित करके प्रान्तीय परिषद् में भेजने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण : इस प्रकार से गठित प्रान्तीय परिषद् प्रान्तीय पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल भी होगा।

18. प्रान्तीय कार्यकारिणी

प्रान्तीय परिषद् अथवा निर्वाचक मंडल चुनाव नियमों एवं नियमावली में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रान्त के तीन पदाधिकारियों अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगा।

ये तीनों निर्वाचित पदाधिकारीगण सामूहिक रूप से नियमावली के अनुसार प्रान्तीय कार्यकारिणी नामित करेंगे।

19. प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगें :-

i) प्रान्त के चुने हुए पदाधिकारीगण

ii) प्रान्त के नामित पदाधिकारीगण एवं प्रकल्प संयोजक

iii) आंचलिक/ ज़िला पदाधिकारी, यदि कोई हो

vi) Speech by the incoming President.

vii) Any other matter with the permission of the Chair.

PART-VI

PRANT LEVEL SET-UP

16. Prant :- *The Apex Body shall be empowered to form appropriate Prant unit of the Parishad and shall allocate branches to various Prants.*

17. Prantiya Council

i) Each Prant so formed by the Apex Body shall have a Prantiya Council consisting of Presidents, Secretaries and the Treasurers of all the Branches of the Prant and all the members of the Prantiya Executive.

ii) If the membership of a Branch exceeds 50, the Executive of the Branch shall be entitled to nominate one delegate for every additional membership of 50 or part thereof in addition to its President, Secretary & Treasurer to the Prantiya Council.

Explanation - *The Prantiya Council so constituted shall also be Electoral College for the purpose of election of Prantiya office bearers.*

18. Prantiya Executive

The Prantiya Council or the Electoral College of the Prant, shall elect three office bearers namely, President, General Secretary and the Treasurer in accordance with the Election Rules and Procedures laid down in bye-laws of the Parishad.

These three elected office bearers will jointly nominate Prantiya Executive according to bye - laws.

19. Members of Prantiya Executive

It shall consist of the following:

i) Elected office bearers of the Prant.

ii) Nominated office bearers and the Project Conveners of the Prant.

iii) Regional / District office bearers, if any.

iv) राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी के ऐसे सभी सदस्यगण जो उस प्रान्त की किसी शाखा के सदस्य हों (पदेन सदस्य के रूप में)

20. प्रान्तीय कार्यकारिणी के अधिकार

प्रान्तीय कार्यकारिणी पर प्रान्त में नई शाखाएँ प्रारम्भ करने और परिषद् की गतिविधियों का विस्तार करने का दायित्व होगा एवं इसके साथ-साथ वह कार्यरत शाखाओं और नई शाखाओं के कार्य और कार्य-प्रणाली की देख भाल भी करेगी। प्रान्त कार्यकारिणी केन्द्र के कार्यक्रमों और प्रकल्पों को भी कार्यान्वित करेगी और प्रान्त की शाखाओं के सामान्य और विशेष संचालन के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करेगी।

21. प्रान्तीय संगठन सचिव

i) शीर्ष मण्डल, प्रान्त की संस्तुति पर एक संगठन सचिव की नियुक्ति कर सकता है जिसका दायित्व नई शाखाओं का गठन और गठन के बाद शाखाओं के संगठनात्मक विषयों की देख-भाल करना होगा। संगठन सचिव का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगा।

ii) संगठन सचिव, प्रान्तीय अध्यक्ष तथा महासचिव के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। यह कार्य राष्ट्रीय शासी मंडल और शीर्ष मण्डल के निर्देशों के अनुसार और उनसे मेल खाता हुआ होगा।

22. प्रान्तीय परिषद् एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठकें :-

प्रति वर्ष प्रान्तीय परिषद् की न्यूनतम दो बैठकें और प्रान्तीय कार्यकारिणी की न्यूनतम दो बैठकें होगीं।

भाग-VII

क्षेत्रीय स्तर की संरचना

23. क्षेत्र: शीर्ष मण्डल अनेक प्रान्तों को सम्मिलित करके उपयुक्त क्षेत्र का गठन करने का अधिकारी होगा।

24. क्षेत्रीय परिषद्:

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(i) क्षेत्रीय समन्वय समिति के सभी सदस्य।

iv) *All members of National & Zonal Executive, who are the members in any branch of that Prant, as ex-officio members.*

20. Powers of Prantiya Executive

The Prantiya Executive shall be responsible for opening of new branches in the Prant and plan further expansion of the Parishad activities and at the same time it shall also monitor the working and functioning of the existing branches and the newly opened branches. The executive will also execute the programmes and projects as given by the Centre and also abide by the directions as given by the Centre in respect of general and specific functioning of the branches in the Prant.

21. Prantiya Organising Secretary

i) *The Apex Body of the Parishad may appoint Organising Secretary for any Prant on its recommendation for the purpose of establishing new branches or for looking after the organisational matters of branches of the Prant after their establishment. The term of Organising Secretary will be for one year from the date of its appointment.*

ii) *The Organising Secretary shall function under the guidance of Prant President and General Secretary. However, it would be subject to and in conformity with the guidelines issued by the National Governing Board or the Apex Body.*

22. Meetings of the Prantiya Council & Prantiya Executive:-

There shall be minimum two meetings of the Prantiya Council and minimum two meetings of the Prantiya Executive every year.

PART-VII

ZONAL LEVEL SET-UP

23. Zones: *The Apex Body shall be empowered to form appropriate Zone comprising of several Prants*

24. Zonal Council:

It shall consist of the following:

(i) *All the members of the Zonal Co-ordination Comittee.*

(ii) क्षेत्र के समस्त प्रान्तों के समस्त कार्यकारिणी सदस्य।

(iii) क्षेत्र की समस्त शाखाओं के सभी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

25. क्षेत्रीय समन्वय समिति :-

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(i) क्षेत्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्य।

(ii) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रांतों के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री (यदि कोई हो)।

(iii) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐसे सभी सदस्य जो क्षेत्र की किसी भी शाखा के सदस्य हों।

26. क्षेत्रीय कार्यकारिणी

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1) क्षेत्रीय चेयरमैन

2) क्षेत्रीय मंत्री

3) समस्त क्षेत्रीय संयोजकगण

27. क्षेत्रीय परिषद्, क्षेत्रीय समन्वय समिति एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठकें:-
प्रत्येक वर्ष में क्षेत्रीय समन्वय समिति तथा क्षेत्रीय कार्यकारिणी की न्यूनतम दो बैठकें होगीं। क्षेत्रीय परिषद् की बैठक राष्ट्रीय परिषद् तथा राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद तीन वर्ष में एक बार होगी।

भाग-VIII
राष्ट्रीय स्तर की संरचना

28. राष्ट्रीय परिषद्
केन्द्र में एक राष्ट्रीय परिषद् होगी। परिषद् के सभी अधिकार राष्ट्रीय परिषद् में समाहित होंगे। राष्ट्रीय शासी मंडल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और शीर्ष मण्डल, सभी राष्ट्रीय परिषद् के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो कि परिषद् की उच्चतम निकाय होगी।

(ii) All the members of the Executive of all the Prants in the Zone.

(iii) All the Presidents, Secretaries and Treasures of all the branches in the Zone.

25. Zonal Coordination Committee:

It shall consist of the following:

(i) All the members of Zonal Executive.

(ii) Presidents, General Secretaries, Treasurers and Organising Secretaries (if any) of the Prants within the Zone.

(iii) All the members of National Executive who are the members in any branch in the Zone.

26. Zonal Executive:

It shall consist of the following:

(i) Zonal Chairman

(ii) Zonal Secretary

(iii) All Zonal Conveners

27. Meetings of the Zonal Council, Zonal Coordination Committee and Zonal Executive:

There shall be minimum two meetings of the Zonal Coordination Committee and Council shall meet once in three years in rotation with National Council and National Conference.

PART-VIII

NATIONAL LEVEL SET-UP

28. National Council

There shall be National Council at the Centre. All powers of the Parishad shall vest in the National Council. The National Governing Board, National Executive and the Apex Body shall be answerable to the National Council, which shall be the Supreme Body of the Parishad.

29. राष्ट्रीय परिषद् की संरचना

राष्ट्रीय परिषद् में निम्नलिखित सम्मिलित होगें:-

i) सभी शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

ii) सभी प्रांतों के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य।

iii) सभी क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण।

iv) सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण।

30. राष्ट्रीय पदाधिकारीगण

परिषद् के निम्नलिखित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण होंगे:-

i) राष्ट्रीय अध्यक्ष

ii) राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

iii) समस्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

iv) राष्ट्रीय महामन्त्री

v) राष्ट्रीय वित्त मन्त्री

vi) राष्ट्रीय संगठन मन्त्री

vii) राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्रीगण

viii) राष्ट्रीय संयुक्त वित्त मंत्री

ix) राष्ट्रीय चेयरमैन

x) राष्ट्रीय मंत्रीगण

31. राष्ट्रीय शासी मण्डल

इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

i) सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण

ii) सभी क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण

29. Composition of National Council

The National Council shall consist of the following:

i) Presidents, Secretaries and Treasurers of all the branches;

ii) Presidents, General Secretaries, Treasurers, Organising Secretaries and Members of Prantiya Executive of all the Prants;

iii) All members of Zonal Executives;

iv) All members of National Executive.

30. National Office Bearers

Following shall be the National Office bearers of the Parishad :

i) National President

ii) National Working President

iii) National Vice-Presidents

iv) National Secretary General

v) National Finance Secretary

vi) National Organising Secretary

vii) National Additional Secretary Generals

viii) National Additional Finance Secretaries

ix) National Additional Organising Secretaries

x) National Chairmen

xi) National Secretaries

31. National Governing Board

It shall consist of the following:

i) All members of the National Executive.

ii) All members of the Zonal Executives.

iii) 6 या अधिक शाखाओं वाले प्रान्तों के अध्यक्ष

iv) सभी प्रान्तों के महासचिव

v) 25 या इससे अधिक शाखाओं वाले प्रान्तों के कोषाध्यक्ष

vi) 50 से अधिक शाखाओं वाले प्रान्तों के संगठन सचिव

vii) शीर्ष मण्डल द्वारा नामित सदस्यगण।

32. राष्ट्रीय शासी मण्डल के अधिकार

क) राष्ट्रीय शासी मण्डल को राष्ट्रीय परिषद् के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

परन्तु राष्ट्रीय परिषद्, राष्ट्रीय शासी मंडल को प्रस्ताव पारित करके संगठन के किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है या संस्तुति कर सकती है।

ख) राष्ट्रीय शासी मण्डल द्वारा निम्न पदाधिकारी चुने जाएँगे:

(i) राष्ट्रीय अध्यक्ष

(ii) राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

(iii) राष्ट्रीय महामन्त्री

(iv) राष्ट्रीय वित्त मन्त्री

परन्तु ये निर्वाचित पदाधिकारीगण नियमावली के अनुसार संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी नामित करेंगे।

33. राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय शासी मंडल की बैठक

राष्ट्रीय महामन्त्री द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से वर्ष में कम से कम एक बार, 15 दिन की सूचना पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय शासी मण्डल की बैठक बुलाई जाएगी। यह सूचना डाक द्वारा अथवा अन्य किसी साधन से भेजी जाएगी। परन्तु किसी आपात स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से यह बैठक किसी भी समय, कम अवधि की सूचना पर,भी, बुलाई जा सकती है।

iii) Presidents of the Prants having 6 or more branches.

iv) General Secretaries of all Prants.

v) Treasurers of the Prants having 25 or more branches.

vi) Organising Secretaries of the Prants having more than 50 branches.

vii) Members nominated by the Apex Body.

32. Powers of National Governing Board

A) National Governing Board shall have all powers of the National Council.

Provided, however, that the National Council may by resolution give directions or make recommendations to the National Governing Board on any matter concerning the affairs of the organisation.

B) Following office bearers shall be elected by the National Governing Board:

(i) National President

(ii) National Working President

(iii) National Secretary General

(iv) National Finance Secretary

Provided that these elected office bearers shall jointly nominate the National Executive according to bye-laws.

33. Meetings of National Executive & National Governing Board

The meetings of the National Executive and National Governing Board shall ordinarily be convened by the Secretary General with the consent of the National President at least once in a year by giving a fortnight's notice in writing by post or otherwise. But in case of emergency, the meeting may be called at any time, and even at a shorter notice, with the previous permission of the National President.

34. राष्ट्रीय कार्यकारिणी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i) राष्ट्रीय अध्यक्ष

ii) राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

iii) राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण

iv) राष्ट्रीय महामन्त्री

v) राष्ट्रीय वित्त मन्त्री

vi) राष्ट्रीय संगठन मन्त्री

vii) राष्ट्रीय संयुक्त महामन्त्रीगण

viii) राष्ट्रीय संयुक्त वित्त मंत्री

ix) राष्ट्रीय संयुक्त संगठन मंत्री

x) राष्ट्रीय चेयरमेन/उप-चेयरमेन

xi) राष्ट्रीय मन्त्रीगण

xii) राष्ट्रीय संयोजकगण

xiii) सभी राष्ट्रीय पत्रिकाओं एवं प्रकाशनों के सम्पादक

35. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार

इस प्रकार गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास परिषद् के सभी प्रकार के पर्यवेक्षण, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार होंगे किन्तु इन पर राष्ट्रीय शासी मण्डल का नियन्त्रण होगा।

36. शीर्ष मण्डल

निम्न संरचना के साथ परिषद् का एक शीर्ष मण्डल होगा:-

i) राष्ट्रीय अध्यक्ष

ii) राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

34. National Executive

Following shall be the members of the National Executive:

i) *National President*

ii) *National Working President*

iii) *National Vice-Presidents*

iv) *National Secretary General*

v) *National Finance Secretary*

vi) *National Organising Secretary*

vii) *National Additional Secretary Generals*

viii) *National Additional Finance Secretaries*

ix) *National Additional Organising Secretaries*

x) *National Chairmen/Vice Chairmen of all Committees*

xi) *National Secretaries*

xii) *National Conveners*

xiii) *Editors of all the National Magazines and Publications.*

35. Power of National Executive

National Executive so constituted shall have all supervisory, financial and administrative powers of Parishad, subject to overall control of National Governing Board.

36. Apex Body

There shall be an Apex Body of the Parishad comprising of:

i) *National President*

ii) *National Working President*

iii) राष्ट्रीय महामन्त्री

iv) राष्ट्रीय वित्त मन्त्री

v) राष्ट्रीय संगठन मन्त्री

vi) राष्ट्रीय संयुक्त महामन्त्रीगण

vii) राष्ट्रीय संयुक्त वित्तमन्त्री

viii) राष्ट्रीय संयुक्त संगठनमन्त्री

37. शीर्ष मण्डल के अधिकार एवं कार्य

1. शीर्ष मण्डल के निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

   i) परिषद् के हित में अति आवश्यक मामलों पर निर्णय लेना।

   ii) विभिन्न राष्ट्रीय समितियाँ गठित करना, उनकी कार्य प्रणाली व शर्तें निश्चित करना और उनकी संस्तुतियों को परिवर्तन सहित/रहित लागू करना।

   iii) सभी क्षेत्रीय कार्यकारिणियों में नियुक्ति करना।

   iv) परिषद् के हित में नये पदों का निर्माण एवं उन पर नियुक्तियाँ करना।

   v) परिषद् के अनाधिक 7 गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय शासी मण्डल में सदस्य नामित करना और विशेष आमंत्रित नामित करना।

2. शीर्ष मण्डल का प्रत्येक निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अथवा राष्ट्रीय शासी मण्डल की बैठक, जो भी पहले हो, के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।

38. राष्ट्रीय परिषद् की बैठक एवं राष्ट्रीय अधिवेशन

राष्ट्रीय परिषद् की बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन हर दूसरे वर्ष बुलाया जाएगा। इन के लिए सभी सदस्यों को राष्ट्रीय महामन्त्री द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जाएगी।

39. राष्ट्रीय अधिवेशन में किए जाने वाले कार्य

(i) महामन्त्री की रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अंगीकार करना।

(ii) प्रान्तों की प्रगति के विषय में प्रान्त महासचिवों का प्रतिवेदन।

iii) National Secretary General

iv) National Finance Secretary

v) National Organising Secretary

vi) National Additional Secretary Generals

vii) National Additional Finance Secretaries

viii) National Additional Organising Secretaries

37. Powers & Functions of Apex Body

1. The Apex Body shall have the following powers:

i) To take decision on urgent matters in the interest of the Parishad.

ii) To constitute various National Committees and to fix their terms and conditions and to implement their recommendations with or without modification.

iii) To make appointments to all Zonal Executives.

iv) To create new posts and make appointments for such posts in the interest of the working of the Parishad.

v) To nominate eminent persons of the Parishad as members of National Governig Board not exceeding 7 and also special invitees.

2. Every decision of the Apex Body shall be presented for approval in the meeting of the National Executive or National Governing Board, whichever is held earlier.

38. National Council Meeting & National Conference

National Council Meeting and National Conference shall be held every alternate year, for which one-month's notice shall be given to all the members by the National Secretary General.

39. Business to be transacted in National Conference

(i) Consideration and adoption of Secretary General's report.

(ii) Reporting by the Prantiya General Secretaries about progress of the Prant.

(iii) राष्ट्रीय संयोजकों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय प्रकल्पों के विषय में प्रतिवेदन।

(iv) सभापति की अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारी मण्डल द्वारा या उसकी तरु से या राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर विचार। इस प्रकार के प्रस्तावों की सूचना सदस्यों द्वारा महामन्त्री को बैठक के 15 दिन पहले दी जानी चाहिए।

(v) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भाषण।

(vi) सभापति की अनुमति से कोई अन्य विषय।

परन्तु ऐसे अधिवेशन के लिए कार्यवाही का क्रम अथवा कार्य-सूची, महामन्त्री द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जायेगी।

भाग-IX

विविध

40. परिषद् की नियमावली

शीर्ष मण्डल को अन्य विषयों के साथ-साथ निम्न विषयों पर उचित उप-नियम बनाने का अधिकार होगा :-

i) शाखा द्वारा प्रान्त और केन्द्र को सदस्यता शुल्क का दिया जाने वाला अंश दान।

ii) शीर्ष मण्डल द्वारा प्रान्त इकाइयों, स्थानीय शाखाओं और सम्बद्ध संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान एवं अंशदान की प्रकृति और धनराशि।

iii) विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों की प्रणाली एवं नियम-विनियम।

iv) विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं कार्यों को तय करना।

v) सभी स्तरों पर परिषद् की कार्य प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए नियम बनाना।

vi) सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करना।

vii) किसी पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(iii) Reporting by the National Conveners about the various National Projects.

(iv) Consideration of the resolution moved by or on behalf of the National Governing Board or by members of the National Council with the permission of the Chair. The notice of the such resolution should be given by the member to the Secretary General 15 days before the meeting.

(v) Speech by the National President.

vi) Any other matter with the permission of the Chair.

Provided that the order of proceedings or the Agenda for such Conferences shall be prepared by the Secretary General in consultation with the National President.

PART- IX

MISCELLANEOUS

40. Bye-laws of the Parishad

The Apex Body shall have power to frame appropriate byelaws of the Parishad providing for the following among other matters:

i) Share of subscription payable by local branch to the Prant and the Centre.

ii) Nature and amount of grants and subscriptions which may be given by the Apex Body to the Prant units, local branches and affiliated organisations.

iii) Elections Rules, Regulations and Procedure for conducting of elections at various levels.

iv) To prescribe duties, powers and functions of the office bearers at various levels.

v) To frame rules to bring uniformity in the working of the Parishad at all levels.

vi) To formulate procedure for termination of membership

vii) To formulate procedure for removal of any office bearer.

viii) आकस्मिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया निर्धारित करना।

ix) संगठन की अर्थव्यवस्था और प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु कोई अन्य विषय।

41. दूसरी संस्थाओं की परिषद् के साथ सम्बद्धता

परिषद् भारत में या भारत के बाहर कार्यरत किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध कर सकती है जिसके उद्देश्य एवं लक्ष्य परिषद् से मिलते हों। परन्तु इस प्रकार की संस्था को सम्बद्धता शुल्क 150/– रुपये और प्रति सदस्य वार्षिक 150/– रुपये शुल्क देना होगा। इस प्रकार की संस्था परिषद् की शाखा मानी जाएगी और उसे परिषद् की शाखा के समान ही अधिकार एवं विशेषाधिकार होंगे। सम्बद्धता प्रदान करने के सभी अधिकार शीर्ष मण्डल में निहित रहेंगे।

परन्तु भारत के बाहर की सभी शाखाएँ 'भारत विकास परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय' के नाम से चलाई जाएंगी।

42. बहुमत द्वारा निर्णय

सभी स्तरों पर परिषद् के निर्णय बहुमत द्वारा लिये जायेंगे।

परन्तु किसी भी प्रश्न पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष अथवा सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

43. कोरम

सभी स्तरों पर परिषद् के सभी निकायों की बैठक का कोरम, सम्बन्धित निकाय की सदस्य संख्या का एक चौथाई होगा। परन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठक हेतु कोरम आवश्यक नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सभी सम्बन्धितों को दस दिन का पुनः नोटिस देना होगा।

44. आधिकारिक वर्ष एवं अंशदान

परिषद् का आधिकारक वर्ष वित्तीय वर्ष यानि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। निर्धारित दर से इसी आधार पर एक वर्ष का शुल्क अग्रिम दिया जाएगा।

45. वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा

i) प्रत्येक स्तर पर लेखा–जोखा उचित पदाधिकरी के पर्यवेक्षण एवं मार्ग निर्देशन में तैयार किया और रखा जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा जांचा जायेगा।

viii) To formulate procedure for filling up casual vacancies.

ix) Any other matter for efficient functioning and funding of the organization.

41. Affiliation of other organisations with Parishad

The Parishad may affiliate any other organisations with similar aims and objects working in India or abroad. Provided that they shall have to pay an affiliation fee of Rs. 150/- and a minimum of Rs. 150/- per member per year. They shall be treated as branch of the Parishad and shall have the same rights and privileges as enjoyed by its own branches. All powers for providing affiliation shall vest in the Apex Body.

Provided further, that the branches outside Bharat will be run under the name of "Bharat Vikas Parishad International"

42. Decisions by Majority

All decisions at all levels shall be taken by majority votes.

Provided however, that in the event of equality of votes on any question, the President or the Chairman of the Meeting shall have a casting vote.

43. Quorum: *Quorum for the meetings of all Bodies of the Parishad at all levels shall be one-fourth of the total strength of concerned Body.*

Provided that no quorum shall be required for a meeting adjourned for want of quorum but its fresh notice of 10 days will have to be issued to all concerned

44. Official Year & Subscription

Official year of the Parishad shall be the financial year i.e. from 1st April to 31st March. The subscription at the prescribed rate shall be paid in advance for a year on that basis.

45. Annual Accounts & Audit

(i) The accounts at all levels shall be prepared and maintained regularly under the supervision and guidance of the appropriate Office Bearers and shall be audited by the auditors as appointed by the concerned Executive.

ii) प्रत्येक निकाय का जांचा गया लेखा–जोखा सामान्य सभा/परिषद्/राष्ट्रीय शासी मण्डल की बैठक में विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

iii) इस प्रकार से स्वीकृत लेखा जोखा निर्धारित समय के अन्दर अगले उच्चतर निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा।

iv) कोई पदाधिकारी, जो लेखा जोखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, समय–समय पर निर्धारित उचित कार्यवाही का भागी होगा।

46. उप–समितियाँ

विभिन्न स्तरों पर कार्यकारिणी समितियां अपने–अपने कार्य क्षेत्र में संगठन के किसी भी कार्य अथवा प्रकल्प के लिए जो समय–समय पर किये जाते हैं, उप–समितियों की नियुक्ति कर सकती हैं। उप–समिति का आकार, कार्य अवधि और दूसरी शर्तें सम्बन्धित कार्यकारिणी समिति द्वारा तय की जाएंगी।

47. विशेष सामान्य सभा

सम्बन्धित कार्यकारिणी, परिषद् से सम्बन्धित किसी आवश्यक और आपात् विषय पर विचार हेतु सामान्य सभा की विशेष बैठक बुला सकती है।

सामान्य सभा की बैठक एक चौथाई सदस्यों के लिखित निवेदन पर भी बुलाई जा सकती है।

48. बैंकर

शाखा का बैंक वही होगा जो सम्बन्धित सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित होगा। परिषद् का सभी धन इसके बैंक/बैंकों में रहेगा और खाते के संचालन के लिए अधिकृत व्यक्तियों के प्राधिकृत किए बिना कोई भी पैसा बैंक से नहीं निकाला जायेगा। शाखा का खाता अध्यक्ष, सचिव (तदर्थ समिति में संयोजक) और कोषाध्यक्ष द्वारा खोला जाएगा और कोषाध्यक्ष एवं अन्य दो में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा।

49. पदाधिकारी को पद से हटाना

किसी व्यक्ति को उचित और पर्याप्त कारणों से उसके चुने हुए या नामित पद से सम्बन्धित कार्यकारिणी द्वारा निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है:–

(ii) *The audited accounts of every Body shall be presented for consideration and approval in the meeting of General Body / Council / National Governing Board, as the case may be.*

(iii) *The accounts so approved shall be submitted to next higher Body within the time as may be prescribed.*

(iv) *Any Office Bearer, who fails to submit the accounts, shall be liable for appropriate action as may be prescribed from time to time.*

46. Sub-Committees

The respective Executive Committees in their own sphere may appoint sub-committees for any special work or project of the Organisation, which it undertakes from time to time. The size, period and other terms of the sub-committees will be determined by the concerned Executive Committee.

47. Special General Body Meeting

Special meeting of the General Body may be called by the concerned Executive Committee for discussing any urgent or important matter concerning the Parishad.

A meeting of the General Body may also be convened at the written request of the one fourth (1/4) members of the General Body.

48. Bankers

The Bankers of the Branch shall be as may be approved by the concerned General Body. All money belonging to the Parishad shall be deposited into its account with the bank or banks and no amount shall be withdrawn except on the authority of the person authorised to operate the accounts. The account of the Branch of the Parishad shall be opened under the authority of the President, Secretary (Convenor in the case of an Adhoc Committee) and Treasurer and will be operated upon by the Treasurer and any one of the two other office bearers.

49. Removal of an Office bearer from any office

A person may be removed by concerned Executive from any office to which he was elected or nominated for good and sufficient reasons as under:

i) ऐसा व्यवहार या आचरण जो उस पदाधिकारी के पद के अनुरूप शोभनीय न हो।

ii) अनुशासनहीनता का कोई कार्य।

iii) नैतिक अधमता से युक्त ऐसा व्यवहार जिसमें उसे सज़ा हुई हो।

iv) कोई वित्तीय अनियमितता की गई हो।

50. पंचाट :

यदि किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य और परिषद् या इसके किसी अधिकारी के मध्य कोई विवाद उठता है तो उसे शीर्ष मण्डल द्वारा नियुक्त पंचाट को सौंप दिया जाएगा। पंचाट का निर्णय, यदि इसे शीर्ष मण्डल द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है, अन्तिम होगा।

51. निर्णयों की बाध्यता

i) सभी स्तरों पर किसी भी समिति के सभी निर्णय अन्तिम और सम्बन्धित सदस्यों पर बाध्य होंगे।

ii) असन्तुष्ट सदस्य एक माह के अन्दर अगले उच्चतर प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसे वह एक माह के अन्दर तय करेगा और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

52. पदाधिकारी होने में अयोग्यता

कोई भी सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक भी परिस्थिति में, किसी भी स्तर पर, पदाधिकारी निर्वाचित या मनोनीत होने योग्य नहीं होगा: –

i) यदि उसे नैतिक अधमता से युक्त किसी अपराध में सज़ा हो चुकी है।

ii) यदि वह किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी है।

iii) यदि वह किसी प्रकार के नशे का आदी है।

iv) यदि वह ''चार्ज न देने या लेखा जोखा न देने'' का कभी भी किसी भी स्तर पर पदाधिकारी के रूप में दोषी है।

v) यदि उसे कभी भी किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है।

vi) यदि उस पर सदस्यता शुल्क या अन्य कोई देय बकाया है।

i) any conduct or behavior unbecoming of an Office bearer of the Parishad;

ii) any act of indiscipline;

iii) any conduct which has led to his conviction involving moral turpitude;

iv) committing of any financial irregularity;

50. Arbitration

If any dispute arises between a member or past member and the Parishad or any of its office bearers, that shall be referred to an arbitrator appointed by the Apex Body. The decision of the arbitrator shall be final unless it is modified by the Apex Body.

51. Finality of Decisions

(i) All the decisions of any committee at all levels shall be final and binding upon all concerned members.

(ii) The aggrieved member may file an appeal to next higher-level authority within one month, who shall decide the same within one month and this decision shall not be called in question in any court of law.

52. Disqualifications for being an office bearer

No member shall be eligible to be elected or nominated as an office bearer at any level under any of the following circumstances:

(i) If he has been convicted for an offence involving moral turpitude.

(ii) If he is an office bearer of a political party

(iii) If he is addicted to any intoxication

(iv) If he is guilty of "not handing over charge or not rendering accounts" as an office bearer at any level at any time.

(v) If he has been found guilty of committing financial irregularities at any level at any time.

(vi) If he is in arrears of membership subscription or any other dues / charges

vii) यदि उसकी आयु 75 वर्ष हो चुकी है (सलाहकार पदों के अतिरिक्त)

viii) यदि वह ऐसी कोई योग्यता नहीं रखता है जिसे समय–समय पर नियमावली में वर्णित किया गया हो।

53. किसी शाखा अथवा प्रान्त की कार्यकारिणी की बर्खास्तगी

(क) स्थानीय शाखा के संदर्भ में यदि प्रान्तीय कार्यकारिणी की राय में प्रान्त की कोई शाखा यदि संविधान और नियमावली के अनुसार और उस प्रणाली एवं अनुशासन से कार्य नहीं कर रही है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है, तो वह अपने निष्कर्ष के साथ उस शाखा की कार्यकारिणी की बर्खास्तगी के लिए अपनी संस्तुति केन्द्रीय कार्यालय को भेज सकती है और साथ ही किसी प्रशासक/तदर्थ निकाय की नियुक्ति हेतु, उतने समय के लिए जब तक कि वह उचित समझे या जब तक कि कोई चुना हुआ निकाय कार्य भार न संभाल ले, अनुशंसा कर सकती है।

(ख) प्रान्तीय कार्यकारिणी के संदर्भ में शीर्ष मण्डल को प्रान्तीय कार्यकारिणी की बर्खास्तगी का अधिकार होगा, यदि वह यह राय रखता है (राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर) कि प्रान्तीय कार्यकारिणी संविधान और नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और उस प्रणाली एवं अनुशासन के साथ कार्यरत नहीं है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है तो वह प्रान्त को उचित तरीके से सुनवाई का अवसर देने के बाद समुचित निर्णय ले सकता है।

(ग) प्रान्त कार्यकारिणी समिति की बर्खास्तगी पर शीर्ष मण्डल को उस प्रान्त के लिए उतने समय तक के लिए जब तक कि वह उचित समझे या जब तक कोई विधिवत् निर्वाचित निकाय कार्य भार न सम्भाल ले, प्रशासक/तदर्थ निकाय नियुक्त करने का अधिकार होगा। किन्तु निर्वाचित निकाय के लिए शीघ्रता की जानी चाहिए। नियुक्त किया गया प्रशासक या तदर्थ निकाय जब तक कार्य करेगा, तब तक उसे प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी अधिकार होंगे।

54. अन्य निकायों/समितियों की बर्खास्तगी।

यदि परिषद् की कोई निकाय या समिति संविधान या नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं करती है अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल रहती है तो शीर्ष मण्डल उस निकाय या समिति को बर्खास्त कर उचित व्यवस्था कर सकता है।

(vii) If he has attained the age of 75 years, except advisory posts.

(viii) If he does not hold such other qualifications as may be prescribed in the bye-laws from time to time.

53. Supersession of Executive of any Branch or the Prant

a) As regards local branch, if in the opinion of the Prantiya Executive, if any branch of the Prant is not functioning in accordance with the constitution and the bye-laws and in the manner and discipline with which it is expected to work, it may, with its findings, send its recommendations to the Central Office for supersession of the Executive Committee of the said Branch and for appointment of an Administrator/Adhoc Body for such time as it considers necessary or until a duly elected body takes over.

b) As regards Prantiya Executive, the Apex Body shall have power to supersede the Executive of the Prant if it is of the opinion (on the basis of information received from any of its National office bearers) that it is not functioning in accordance with the constitution and the bye-laws or in the manner and discipline with which it is expected to work after giving an opportunity to the Prant of being heard in such manner as it thinks fit.

c) On the supersession of the Executive Committee of the Prant, the Apex body shall have the power to appoint Administrator/ Adhoc Body for the said Prant/Unit for such time as it considers necessary or until the fresh duly elected body takes over which must take place as early as possible. The Administrator and the Adhoc Body so appointed shall have all the powers of the Prantiya Executive till the time it remains in the office.

54. Suppression of other bodies / Committees

If any body or committee of the Parishad does not function in accordance with the Constitution and bye-laws or fails to discharge its duties, the Apex Body may supersede the said Body or the committee and make suitable arrangements.

55. अनुशासन समिति की नियुक्ति

शीर्ष मण्डल राष्ट्रीय स्तर पर, उन शर्तों पर जो उसके कार्य और कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक लगे, एक अनुशासन समिति की नियुक्ति करेगा जिसकी अवधि एक वर्ष होगी और जिसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

56. गांवों में परिषद् की गतिविधियां

(क) परिषद् की गतिविधियों को उन स्थानों पर प्रसारित करने के उद्देश्य से जहां ग्राम पंचायत कार्यरत हैं, परिषद् द्वारा कम से कम 11 सदस्यों के साथ एक 'ग्राम समिति' की स्थापना की जा सकती है। इसमें प्रति सदस्य वार्षिक शुल्क 100/- रुपये रहेगा।

(ख) ग्राम समिति की सदस्य संख्या का विचार किए बिना केन्द्र का वार्षिक शुल्क 100/- रुपये और प्रान्त का वार्षिक शुल्क 100/- रुपये होगा। केन्द्र द्वारा 'नीति' पत्रिका की एक प्रति ग्राम समिति को भेजी जाएगी।

(ग) ग्राम समिति का एक अध्यक्ष और एक सचिव /कोषाध्यक्ष होगा जिन्हें समिति की सामान्य बैठक में विधिवत् चुना जाएगा।

(घ) समिति के अध्यक्ष तथा सचिव/कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में प्रान्त परिषद् में समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन्हें मतदान करने अथवा चुने जाने का अधिकार नहीं होगा।

57. भारत विकास परिषद् चैरीटेबल न्यास, नई दिल्ली

निम्नलिखित व्यक्ति अपने पद के कारण, संस्थापक न्यासियों के अतिरिक्त, भारत विकास परिषद् चैरीटेबल न्यास, नई दिल्ली (पंजीकृत) के न्यासी होंगे।

i) राष्ट्रीय महा–मन्त्री

ii) राष्ट्रीय वित्त–मन्त्री

iii) राष्ट्रीय संयुक्त महामन्त्रीगण

यह सभी न्यासी दो वर्ष के लिए होंगे। राष्ट्रीय महामन्त्री न्यास के चेयरमैन होंगे। राष्ट्रीय वित्त मन्त्री न्यास के कोषाध्यक्ष होंगे और न्यास के चेयरमैन द्वारा नामित कोई न्यासी, न्यास का सचिव होगा।

55. Appointment of Disciplinary Committee

The Apex Body shall appoint a Disciplinary Committee at the National level for a period of one year which may be extended further for one more year on the terms and conditions for its working and functioning as it considers necessary.

56. Parishad Activities in Villages

a) *With a view to spread the activities of the Parishad at places covered by Village Panchayats, a Village Committee of the Parishad may be established with a minimum number of 11 members. The annual subscription per member shall be Rs. 100/- per year.*

b) *The annual Central share shall be only Rs. 100/- and the Prant share shall also be Rs. 100/- irrespective of strength of membership in the Committee. Only one copy of the 'Niti' magazine shall be supplied to the Committee by the Centre.*

c) *As regards office bearers in the Committee there shall be one President and one Secretary-cum-Treasurer who shall be duly elected in the General Body meeting of the Committee.*

d) *The President and Secretary-cum-Treasurer shall represent the Village Committee in the Prant Council meeting as ex-officio members and they shall not be entitled to vote or to seek any election in the Prant.*

57. Bharat Vikas Parishad Charitable Trust, New Delhi

The following shall be the trustees of Bharat Vikas Parishad Charitable Trust, New Delhi (Regd.) by virtue of office besides the founder trustees:

i) *National Secretary General*

ii) *National Finance Secretary*

iii) *National Additional Secretary Generals*

All these shall be trustees for a period of two years. Secretary General shall be the Chairman of the Trust. National Secretary Finance shall be the Treasurer of the Trust and any Trustee nominated by the Chairman shall be the Secretary of the Trust.

58. न्यासों पर नियन्त्रण

i) भारत विकास परिषद् के नाम पर किसी भी स्तर पर स्थापित किये गये सभी न्यास सामान्य रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्ण नियन्त्रण में रहेंगे और विशेष रूप से

क) उचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए।

ख) खातों के उचित रख-रखाव और परीक्षण के लिए।

ii) राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रत्येक न्यास में दो प्रतिनिधियों को केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में नामित करेगी।

59. भारत विकास परिषद् की कोई शाखा अथवा प्रान्त केन्द्र से लिखित में आवश्यक अनुमति लिए बिना अचल सम्पत्ति अर्जित करने के लिए कोई चैरीटेबल न्यास या दूसरी संस्था नहीं बनाएगा। इस प्रकार की अनुमति देते समय शर्तें लगाई जा सकती हैं जो कि बाध्यकारी होंगी।

60. कोई चैरीटेबल निकाय/न्यास/समिति जो भारत विकास परिषद् के नाम पर पहले से बनी हुई है, उसे बने रहने के लिए केन्द्र से अनुमोदन लेना होगा और वह केन्द्र द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करेगा जिन्हें न्यास या निकाय के नियमों और विनियमों में सम्मिलित करना होगा।

61. प्रत्येक चैरीटेबल निकाय/न्यास/समिति, उसका कुछ भी नाम हो, ''भारत विकास परिषद् से सम्बद्ध निकाय'' यह वाक्य अपने सभी अभिलेखों जैसे:- पत्रकों, रसीद बहियों, नाम पट्टों, किताबों इत्यादि पर लिखेगी।

62. सभी स्तरों पर पदाधिकारियों का कार्यकाल

निर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा एवं प्रान्त तथा शाखा स्तर पर निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। किन्तु सभी स्तरों पर वे निरन्तर दो कार्यकालों के लिए चुने जा सकेंगे।

किन्तु किसी विशेष या आपात स्थिति में तथा संगठन के हित और कुशल संचालन हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शासी मण्डल द्वारा, प्रान्तीय स्तर पर

58. Controls Over Trusts

i) All trusts established at any level in the name of Bharat Vikas Parishad shall be subject to the overall control of the National Executive in general and in particular:

a) To ensure proper management;

b) To ensure proper maintenance of accounts and audit;

ii) The National Executive shall nominate two representatives of the Centre in each Trust as the representative of the Centre.

59. *No local Branch or Prant of Bharat Vikas Parishad shall create or form any Charitable Trust or other organization to acquire any immovable property, unless the necessary permission is sought for and granted in writing by the Centre. Conditions may be imposed at the time of granting such permission and the same shall be binding.*

60. *Any Charitable Body/Trust/Society already formed for or on behalf of Bharat Vikas Parishad shall have to seek approval of the Centre for its continuance and shall function in accordance with and subject to such conditions as may be specified by the Centre which shall be incorporated in the rules and regulations of the trust or the body concerned.*

61. *Every Charitable Body/Trust/Society, whatever be its name shall state "A body affiliated to Bharat Vikas Parishad" on all documents such as letter heads, receipt books, name plates, books, registers etc.*

62. The Terms of office Bearers at all levels

The terms of elected National Office Bearers shall be two years, the term of elected office bearers at Prant and Branch level shall be one year, However, at all levels they can be elected continuously for two terms.

Provided that in specific and emergent circumstances and in the interest of the efficient and smooth running and functioning of the organization, any sitting office bearer(s) at all levels may be

क्षेत्रीय कार्यकारिणी द्वारा एवं शाखा स्तर पर प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की छूट दी जा सकेगी। किन्तु किसी भी परिस्थिति में एवं कोई भी पदाधिकारी उपरोक्त कार्यकाल से अधिक उस पद पर नहीं बना रह सकेगा।

63. कठिनाई दूर करने का अधिकार

यदि इस संविधान को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, जिस प्रकार चाहे, संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए उस कठिनाई को दूर कर सकती है और वह ऐसे निर्देश एवं परिपत्र भेज सकती है जो इस संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध न हों।

64. भारत विकास परिषद् पर राष्ट्रीय महामन्त्री या उसके द्वारा विधिवत् अधिकृत व्यक्ति के नाम से मुकद्मा चलाया जा सकता है या परिषद् मुकद्मा चला सकती है।

65. 1860 के सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम जैसा कि केन्द्र शासित दिल्ली क्षेत्र पर लागू है, के अधीन, परिषद् के उपरोक्त नियम राष्ट्रीय शासी मंडल के मतदान हेतु उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से परिवर्तित, परिवर्धित तथा संशोधित किये जा सकते हैं।

66. किसी नियम अथवा नियमावली की व्याख्या के बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।

*** वन्देमातरम् ***

नोट :- **परिषद् का मूल संविधान अंग्रेज़ी में है। यह उसका हिन्दी अनुवाद है। दोनों भाषाओं के अर्थ में कोई अन्तर होने की स्थिति में, अंग्रेजी में लिखित प्रावधान ही मान्य होगा।**

granted exemption at National level by the National Governing Board, at Prantiya level by the Zonal Executive and at Branch level by the Prantiya Executive, for contesting election for one more term. But no person shall be allowed to hold the same office for more than the term mentioned above at any level.

63. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in respect of implementation of this Constitution, the National Executive shall have power to remove the difficulties in such manner as it deems fit to ensure the smooth functioning of the organisation and to issue circulars and directions not inconsistent with this constitution.

64. *Bharat Vikas Parishad may sue or can be sued in the name of National Secretary General or any other person duly authorised in this behalf.*

65. *Subject to the provision of the Societies Registration Act of 1860, as applicable to the Union Territory of Delhi, Rules of the Parishad embodied herein may be altered, amended or otherwise modified, by a resolution passed by 2/3rd majority of the eligible members of National Governing Board present for voting.*

66. *In regard to the interpretation of any Rule or of any Bye-law, the decision of the National Executive shall be final.*

VANDE MATARAM

Constitution as amended and adopted by the National Governing Board in its meeting held on 18-19/02/2009 at Hyderabad and applicable w.e.f. 1-4-2009.